महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 14 नवम्बर को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का करेंगे विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 14 नवम्बर को शाम 6.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन करेंगे। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर नर्सिंग स्टॉफ से 4.60 लाख रुपए की ठगी,नर्स गिरफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस)। शहर के जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्स ने मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर अपनी ही नर्सिंग स्टाफ से 4.60 लाख रुपए की ठगी कर दी। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने नर्स पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर निवासी महिला लता पाटिल जो कि जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ है। साथ काम करने के कारण अस्पताल में ही पदस्थ नर्स मंजू पाटले से उसकी जान पहचान थी। वर्ष 2022 में रायपुर टूर के दौरान मंजू पाटले ने सतीश सोनवानी नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात कराते हुए उसे मंत्रालय का अधिकारी बताया था। बाद में इसी जान पहचान का फ ायदा उठाते हुए मंजू ने लता को झांसे में लिया और मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 4.60 लाख रुपए ठग लिया। लंबे समय तक नौकरी नहीं लगने पर जब लता ने मंजू से अपने पैसे वापस मांगे तो मंजू टालमटोल करने लगी। जिससे लता को ठगी का अहसास हुआ और उसने अपने पति के साथ इसकी शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई। इधर मामले में जांच करते हुए सरकंडा पुलिस ने आरोपी नर्स मंजू पाटले को गिरफ्तार कर लिया है।

रैगिंग मामले मे मेडिकल कॉलेज के पांच छात्र निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में एमबीबीएस सेकंड ईयर के पांच छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। 2023 बैच के इन छात्रों को अब एक महीने तक कक्षाओं और क्लीनिक पोस्टिंग से दूर रहना होगा। यह कदम एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा की गई सुनवाई के बाद उठाया गया है। बता दें कि पिछले महीने वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम से शुरू हुई रैगिंग की घटना ने बढ़ते-बढ़ते विवाद का रूप ले लिया। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को समझाया था। बताया जाता है कि रैगिंग के दौरान करीब 50 छात्रों के सिर मुंडवा दिए गए थे। इसके अलावा, एक वॉट्सएप ग्रुप बनाकर जूनियर लड़कियों से तस्वीरें मांगी जा रही थीं। छात्रों पर कई तुगलकी फ रमान भी थोपे गए थे, जैसे कि बाल मुंडवाकर रखना, कॉलेज परिसर में फि ट कपड़े न पहनना, सामान्य बैग इस्तेमाल करना, और स्टाइलिश जूते न पहनने का आदेश दिया गया था। इसके बाद, परिजनों ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) में शिकायत की और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया, जिससे कॉलेज में हडक़ंप मच गया। विवाद के बढऩे पर, कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग कमेटी को इस मामले की जांच सौंप दी।

कल से शुरू हो रही धान खरीदी : 69 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, किया गया ट्रायल रन

- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी जरूरी इंतजामों को लेकर अधिकारियों को किया निर्देशित
- सीमावर्ती इलाकों में 13 चेकपोस्ट बनाए गए, 24 घंटे तैनात रहेगा निगरानी दल
- समितियों में होंगे माइक्रो एटीएम, किसान निकाल सकेंगे धान खरीदी भुगतान का पैसा
- धान खरीदी को लेकर किसानों में भारी उत्साह

रायगढ़

14 नवंबर से खरीफ 2024-25 के लिए धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। रायगढ़ जिले के 69 सहकारी समितियों के 105 धान उपार्जन केन्द्रों में तैयारियां जोरों पर है। यहां खरीदी के साथ ही किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं व्यवस्थित कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों को धान खरीदी पर दोहरा लाभ मिलने जा रहा है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। प्रति क्विंटल में किसानों को समर्थन मूल्य के साथ कुल 3100 रूपये की राशि मिलेगी। शासन से जारी निर्देशों के अनुरूप 31 जनवरी 2025 तक खरीदी चलेगी।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने धान खरीदी को लेकर सहकारिता, खाद्य मार्कफेड और अपेक्स बैंक की बैठक लेकर धान खरीदी के तैयारियों की नियमित रूप से समीक्षा की। जिसमें खरीदी फड़ की साफ-सफाई, कंप्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस की इंटरनेट कनेक्शन के साथ व्यवस्था, जनरेटर का इंतेजाम, इलेक्ट्रॉनिक काँटा और बायोमेट्रिक मशीन की उपलब्धता बारदानों की उपलब्धता, विपणन संघ द्वारा प्रदाय कैमरे के स्पेसिफिकेशन अनुसार इंस्टालेशन की स्थिति, किसानों हेतु बैठने और पीने के पानी की व्यवस्था, लेखा संधारण हेतु आवश्यक रजिस्टर के साथ धान खरीदी से जुड़ी जानकारियों के बैनर पोस्टर लगाए जाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य में 5.95 लाख मे.टन खरीदी का लक्ष्य है। लक्ष्य अनुसार अनुमानित धान खरीदी हेतु नये पुराने बारदानों की व्यवस्था की गई है।

सीमावर्ती इलाकों में बनाए 13 चेक पोस्ट, 24 घंटे तैनात रहेगा निगरानी दल

रायगढ़ जिला उड़ीसा राज्य से लगे होने के कारण कलेक्टर गोयल ने अवैध धान की आवक रोकने पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। जिले के चिन्हांकित 13 स्थानों पर जांच के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उक्त स्थानों पर राजस्व विभाग कृषि विभाग, वन विभाग, मंडी, पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व, खाद्य, सहकारिता, परिवहन, बैंक पर्यवेक्षक एवं मंडी के अधिकारियों-कर्मचारियों के विशेष जांच दल भी गठित किए गए हैं। जिनके द्वारा समितियों एवं उपार्जन केन्द्रों में कोचिया बिचौलिया के ऊपर सतत निगरानी व निरीक्षण किया जाएगा।

समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा, किसान वहीं से निकाल सकेंगे धान खरीदी का पैसा- कृषकों को उनके धान विक्रय पश्चात समिति में ही भुगतान प्राप्त करने हेतु कई बार बैंकों में लाइन लगानी पड़ती है, दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हुआ। इसे देखते हुए जिले में संचालित 69 सहकारी समितियों में अपेक्स बैंक के माध्यम से माइक्रो एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिससे किसान धान खरीदी का पैसा समितियों से ही निकाल सकेंगे। माइक्रो एटीएम के माध्यम से कार्यालयीन दिवसों एवं समय में कृषकों द्वारा छ.ग.राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रदाय रूपे एटीएम कार्ड के माध्यम से प्रतिदिन 10 हजार रूपये तक की राशि आहरण एवं जमा की जा सकेगी। लेन-देन पश्चात एजेंट समिति द्वारा अपने ग्राहकों को सिस्टम जनरेटेड स्लीप भी प्रदाय करेगी। कृषक अपने रूपे एटीएम कार्ड के माध्यम से बैंक शाखा के अलावा अपनी समितियों में भी राशि आहरण/जमा हेतु इस सुविधा का लाभ ले सकते है।

धान खरीदी को लेकर किसान हैं काफी उत्साहित- धान खरीदी को लेकर किसानों में भी भारी उत्साह है। पुसौर के किसान घनश्याम पटेल कहते हैं सरकार की नीतियों से किसानों में अत्यंत उत्साह। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल और हर क्विंटल के लिए समर्थन मूल्य के साथ 3100 रूपये मिलेंगे। इसको लेकर किसानों में दुगुनी खुशी है।

बाघ को जहर देकर मारने का मामला : हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, वन विभाग से किया जवाब तलब

बिलासपुर। आरएनएस

तीन दिन पहले कोरिया वनमंडल में बाघ को जहर देकर मारने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जवाब तलब किया है. बाघ की मौत के बाद वन विभाग के अफसर घटना स्थल पहुंचकर दो किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों से पूछताछ करने में जुटे हैं.

बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को वन अफसरों को गुरु घासीदास नेशनल पार्क से सटे एरिया में ग्रामीणों के माध्यम से मृत बाघ के बारे में जानकारी मिली. बाघ की बॉडी 2-3 दिन पुरानी थी. घटना की सूचना पाकर कोरिया डीएफओ, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के डायरेक्टर, सीसीएफ सरगुजा सहित वन अफसर मौके पर पहुंचे. बाघ का पोस्टमार्टम कराने पर रिपोर्ट में उसे जहर देकर मारने की पुष्टि हुई है.

बाघ का पीएम वन विभाग, पुलिस, एनटीसीए के प्रतिनिधि व ग्रामीणों की उपस्थिति में चार सदस्यीय पशु चिकित्सकों की टीम ने किया. पोस्टमार्टम के बाद बाघ के जरूरी अंगों को लैब टेस्ट के लिए सुरक्षित रखा गया है. घटना के दूसरे दिन रायपुर से एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ घटना स्थल पहुंचे थे. बाघ को बदले की भावना से जहर देने की आशंका जताई जा रही है. बाघ द्वारा मवेशी के शिकार करने से मवेशी मालिक आक्रोशित हो गया होगा और उसने बाघ को मारने मवेशी के शेष बचे मांस में जहर मिलाकर दिया होगा.

संदेहियों से पूछताछ कर रहे अफसर

अफसर अलर्ट रहते तो जिस ग्रामीण के मवेशी का बाघ ने शिकार किया था, उस मवेशी के मालिक को वन अफसर तत्काल मुआवजा राशि उपलब्ध करा देते तो बाघ को जहरखुरानी से बचाया जा सकता था. घटना के पूर्व बाघ ने कहां-कहां विचरण किया, बाघ ने जिस जगह मवेशी का शिकार किया, उस जगह पहुंचकर मवेशी के बचे शेष मांस में किसने जहर मिलाया. इसकी जांच गोमर्डा अभयारण्य से आई डॉग स्क्वाड की टीम ने की है. संदेह के आधार पर वन विभाग के अफसर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं.

जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर

- मुख्यमंत्री साय ने जल संसाधन विभाग को दी शुभकामनाएं
- केन्द्र सरकार ने शुरू की है, जनभागीदारी से जल संचय पहल

रायपुर। जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय, जनभागीदारी पहल के तहत जल संचय के एक लाख 53 हजार 533 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 10 हजार 872 कार्य प्रगतिरत हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है।

छत्तीसगढ़ में जनभागीदारी से जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, जहां 35 हजार 758 जल संचय के कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 5064 कार्य प्रगतिरत हैं। दूसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहां 16,389 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 1643 कार्य प्रगति पर हैं। तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है, जहां 16,629 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 662 कार्य प्रगति पर हैं। चौथे स्थान पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला है, जहां 16,730 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 300 कार्य प्रगति पर हैं। पांचवे स्थान बलरामपुर-रामानुजगंज जिला है, जहां 8618 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 586 कार्य प्रगति पर हैं। छठवें स्थान पर गरियाबंद जिला है, जहां 6899 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 634 कार्य प्रगति पर हैं। सातवें स्थान पर दुर्ग जिला है, जहां 4915 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 609 कार्य प्रगति पर हैं। दसवें स्थान पर धमतरी जिला है, जहां 3706 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 107 कार्य प्रगति पर हैं।

गौरतलब है कि जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है। यह पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सामूहिक पहल एवं एकजुटता से जलसंरक्षण की संकल्पना को साकार करती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अन्य गतिविधियों के अलावा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की जाएगी तैयार

- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश
- निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसम्बर को किया जायेगा

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। अब जो मतदाता 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वे आगामी स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। पूर्व में निर्वाचक नामावली हेतु 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि निर्धारित की गई थी किन्तु राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन अधिनियम में संशोधन उपरांत 01 अक्टूबर 2024 की तिथि निर्धारित की गई है, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया जा चुका है। यह प्रक्रिया चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है जिसके तहत् अर्हता तिथि अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने तथा अद्यतन करने का कार्य किया जा सकेगा। नगरीय निकाय हेतु मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को किया जा चुका हैं। अब नवीन संशोधित जारी कार्यक्रम अनुसार दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 से तथा दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 20 नवम्बर 2024 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 नवम्बर 2024 तथा दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर निर्धारित किया गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 11 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि यदि किसी मतदाता के नाम, फोटो या अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते सुधरवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब नवीन अर्हता तिथि अनुसार हर योग्य व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल सकेगा तथा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा।

हत्या के प्रयास मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार, कोतरारोड़ पुलिस ने भेजा न्यायिक रिमांड पर

रायगढ़

पुरानी रंजिश के चलते हुए मारपीट मामले के फरार आरोपी गोलू उर्फ राकेश महंत को आज कोतरारोड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 13 अक्टूबर 2024 को मारपीट की घटना हुई थी, थाना कोतरारोड़ में नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा निवासी इसरार खान ने अपने छोटे भाई रियाज खान पर हमले की रिपोर्ट दर्ज कराया, इसरार ने बताया कि रियाज पर हुए हमले की सूचना उसके दोस्त कैलाश ने दी थी, जिसने सुबह 5 बजे फोन कर बताया कि घायल रियाज को अस्पताल लाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर इसरार और उसकी मां ने देखा कि रियाज को सिर, कान, और आंखों में गंभीर चोटें आई हैं, और उसका इलाज जिंदल अस्पताल पतरापाली में जारी है।

जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर को देर रात 2:30 बजे के करीब जब रियाज अपने दोस्त प्रकाश जाते और कुणाल पटेल के साथ रायगढ़ से लौट रहा था, तब सरायपाली ओवर ब्रिज के पास कोसमपाली निवासी समीर उर्फ राजा चौहान, बंटी चौहान और गोलू चौहान ने उन पर पुरानी रंजिश के कारण हमला कर दिया। आरोपियों ने रियाज और उसके दोस्तों को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडों व मुक्कों से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अप.क्र. 347/2024 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज किया। चिकित्सकों ने रियाज की चोटों को गंभीर बताया है। जांच में आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज किए गए, जिसमें पहले समीर उर्फ राजा चौहान (22) और जयकिशन उर्फ बंटी चौहान (19) को कोसमपाली से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने उनके मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त डंडा भी जब्त किया था।

मामले के फरार आरोपी गोलू उर्फ राकेश महंत (22) को आज पुलिस ने कोतरा रोड स्थित सोनिया नगर वार्ड 40 में छापा मारकर हिरासत में लिया। पूछताछ में गोलू ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त : प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की 6 साल से लंबित मांग 24 घंटे के अंदर हुई पूरी'

- समितियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में हुई बढ़ोत्तरी
- छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री साय की पहल पर समिति कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा 24 घंटे के भीतर पूर्ण करते हुए समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। इसके साथ ही अन्य 2 मांगों के संबंध में शासन स्तर पर अंतर्विभागीय समिति का गठन कर उचित कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री साय के पहल पर वर्ष 2018 के बाद पहली बार सहकारी समितियों के लगभग 13 हजार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारियों की मांगों पर स्वयं संज्ञान लेकर इनके निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये थे, इस संबंध में मुख्यमंत्री साय के समक्ष 10 नवम्बर को विभागीय अधिकारियों के साथ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों के शीघ्र निराकरण के संबंध में निर्देश दिये।

समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि

मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में आयुक्त सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन किये जाने के आदेश 11 नवम्बर 2024 को जारी कर दिये गए। इसमें समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों में हर्ष एवं उल्लास व्याप्त है।

खाद्य विभाग द्वारा इस आशय का पत्र भी जारी कर दिया गया है कि धान उपार्जन समाप्त होने के एक माह के अंदर धान का उठाव राइस मिलर्स एवं विपणन संघ द्वारा किया जाएगा, यदि इसके पश्चात् भी उपार्जन केन्द्रों में धान शेष रहता है तो खाद्य विभाग द्वारा सहकारी समितियों को धान की सूखत दिये जाने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

कर्मचारियों की अन्य मांग के निराकरण के संबंध में खाद्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं विपणन संघ को शामिल करते हुए एक अंर्तविभागीय समिति का गठन किया गया है, जो कर्मचारी संघ की मांग पर विचार कर निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा संवेदनशीलता के साथ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों के निराकरण करने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।

कर्मचारी अपनी-अपनी समितियों में कार्य में वापस लौटे

सभी कर्मचारी अपनी-अपनी समितियों में कार्य में वापस आ गए हैं तथा 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ हो रही धान खरीदी की समुचित व्यवस्था में लग गए हैं। कर्मचारियों द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि किसानों को धान उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई नही होगी। धान उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक तैयारी 13 नवम्बर 2024 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ धान उपार्जन सुगमतापूर्वक किये जाने के निर्देश सभी विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों को दिये गये हैं। धान उपार्जन के दौरान उपार्जन केन्द्रों का सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिये हैं।

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा 4 नवम्बर 2024 से की जा रही हड़ताल आज समाप्त घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नरेन्द्र साहू ने समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त घोषित करते हुए कहा है कि समस्त समिति कर्मचारी शासन की समस्त योजनाओं का समिति स्तर से क्रियान्वयन किए जाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कर्मचारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव बसव राजू एस., सचिव सहकारिता डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के.एन काण्डेय सहित अन्य अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480